

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 - 21/2024

अनवान :-

1. विजय शंकर पुत्र सुभाष चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
2. देवकी देवी पत्नी स्व0 सुभाष चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
वादीगण

बनाम

1. प्रयाग चन्द पुत्र चानण राम जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
2. लीलाधर पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
3. प्रेम प्रताप पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
4. मोहन लाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
5. सरोज कुमारी पुत्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
6. मीरा देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
7. सोनू पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
8. कोमल पुत्री हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री पूनमचन्द वर्मा वादी
श्री अक्षय कुमार प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:


संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 273/71 के मु0न0 31 के किला न0 17, 21 ता 23 मु0न0 32 के किला न0 17, 24, 25 मु0न0 44 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 25 मु0न0 45 के किला न0 1 ता 3, 10 मु0न0 50 के किला न0 1 ता 5 की कुल 9.6140 है0 वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादीगण वाद भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5-10 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामा के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं0 273/71 के मु0न0 31 के किला न0 17, 21 ता 23 मु0न0 32 के किला





न० 17, 24, 25 मु०न० 44 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 25 मु०न० 45 के किला न० 1 ता 3, 10 मु०न० 50 के किला न० 1 ता 5 की कुल 9.6140 है० वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तर्क खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी सं० 1 विजय शंकर 4/7 हिस्सा वादी सं० 2 देवकी देवी 3/7 हिस्सा :- रोही मौजा चक 8 बरानी के मु०न० 44 के किला न० 2-3 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी किला न० 4/2 की 0.0700 है० बरानी किला न० 5/2 की 0.0620 है० बरानी किला न० 5/3 की 0.0090 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उत्तर से दक्षिण किला न० 6/1 की 0.2210 है० बरानी किला न० 6/2 की 0.0320 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उत्तर से दक्षिण किला न० 7 ता 9, 12 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी किला न० 15/1 की 0.2210 है० बरानी किला न० 15/2 की 0.0320 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उत्तर से दक्षिण किला न० 16/1 की 0.1240 है० बरानी किला न० 16/2 की 0.0180 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उत्तर से दक्षिण किला न० 17/1 की 0.1420 है० बरानी किला न० 18/1 की 0.1420 है० बरानी किला न० 19/1 की 0.1420 है० बरानी इस प्रकार कुल 3.239 है० जिसमें 3.1480 है० बरानी एवं 0.0910 है० गै०मु० रास्ता।

प्रतिवादी सं० 1 प्रयाग चन्द :- रोही मौजा चक 8 बरानी के मु०न० 44 के किला न० 16/3 की 0.0960 है० बरानी किला न० 16/4 की 0.0150 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उत्तर से दक्षिण किला न० 17/2 की 0.1110 है० बरानी किला न० 18/2 की 0.1110 है० बरानी किला न० 19/2 की 0.1110 है० बरानी किला न० 20 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी किला न० 25/1 की 0.2210 है० बरानी किला न० 25/2 की 0.0320 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उत्तर से दक्षिण मु०न० 50 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी किला न० 5/1 की 0.2210 है० बरानी किला न० 5/2 की 0.0320 है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण इस प्रकार कुल 3.2270 है० जिसमें 3.1480 है० बरानी एवं 0.0790 है० गै०मु० रास्ता।

प्रतिवादी सं० 2 ता 4 प्रत्येक 19/84 हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 सरोज कुमारी 2/21 हिस्सा प्रतिवादी सं० 6 मीरा देवी 1/21 हिस्सा प्रतिवादी सं० 7 सोनू 13/84 हिस्सा प्रतिवादी सं० 8 कोमल 1/42 हिस्सा :- रोही मौजा चक 8 बरानी के मु०न० 31 के किला न० 17, 21 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी मु०न० 32 के किला न० 17, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० बरानी मु०न० 44 के किला न० 4/1 की 0.1830 है० बरानी किला न० 5/1 की 0.1820 है० बरानी मु०न० 45 के किला न० 1 ता 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० इस प्रकार कुल 3.1480 है० बरानी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता व भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी. चन्देलिया)

R.A.S
उपसुपुंड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि०न० - 21/2024

अनवान :-

1. विजय शंकर पुत्र सुभाष चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
 2. देवकी देवी पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
- वादीगण

बनाम


1. प्रयाग चन्द पुत्र चानण राम जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
2. लीलाधर पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
3. प्रेम प्रताप पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
4. मोहन लाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
5. सरोज कुमारी पुत्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
6. मीरा देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
7. सोनू पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
8. कोमल पुत्री हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त० भादरा।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

उक्त अनवानी वाद पत्र आज मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वास्ते प्राथमिक डिक्री वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा तथा वकील श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में पेश होने रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं० 273/71 के मु०न० 31 के किला न० 17, 21 ता 23 मु०न० 32 के किला न० 17, 24, 25 मु०न० 44 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 25 मु०न० 45 के किला न० 1 ता 3, 10 मु०न० 50 के किला न० 1 ता 5 की कुल 9.6140है० वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी सं० 1 विजय शंकर 4/7 हिस्सा वादी सं० 2 देवकी देवी 3/7 हिस्सा :- रोही मौजा चक 8 बारानी के मु०न० 44 के किला न० 2-3 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी किला न० 4/2 की 0.0700है० बारानी किला न० 5/2 की 0.0620है० बारानी किला न० 5/3 की 0.0090है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उतर से दक्षिण किला न० 6/1 की 0.2210है० बारानी किला न० 6/2 की 0.0320है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उतर से दक्षिण किला न० 7 ता 9, 12 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी किला न० 15/1 की 0.2210है० बारानी किला न० 15/2 की 0.0320है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उतर से दक्षिण किला न० 16/1 की 0.1240है० बारानी किला न० 16/2 की 0.0180है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उतर से दक्षिण किला न० 17/1 की 0.1420है० बारानी किला न० 18/1 की 0.1420है० बारानी किला न० 19/1 की 0.1420है० बारानी इस प्रकार कुल 3.239है० जिसमें 3.1480है० बारानी एवं 0.0910है० गै०मु० रास्ता।

प्रतिवादी सं० 1 प्रयाग चन्द :- रोही मौजा चक 8 बारानी के मु०न० 44 के किला न० 16/3 की 0.0960है० बारानी किला न० 16/4 की 0.0150है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उतर से दक्षिण किला न० 17/2 की 0.1110है० बारानी किला न० 18/2 की 0.1110है० बारानी किला न० 19/2 की 0.1110है० बारानी किला न० 20 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी किला न० 25/1 की 0.2210है० बारानी किला न० 25/2 की 0.0320है० गै०मु० रास्ता पूर्वी तरफ से उतर से दक्षिण मु०न० 50 के किला न० 1 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी किला न० 5/1 की 0.2210है० बारानी किला न० 5/2






की 0.0320 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण इस प्रकार कुल 3.2270 है 0 जिसमें 3.1480 है 0 बारानी एवं 0.0790 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता ।

प्रतिवादी सं 0 2 ता 4 प्रत्येक 19/84 हिस्सा प्रतिवादीया सं 0 5 सरोज कुमारी 2/21 हिस्सा प्रतिवादी सं 0 6 मीरा देवी 1/21 हिस्सा प्रतिवादी सं 0 7 सोनू 13/84 हिस्सा प्रतिवादी सं 0 8 कोमल 1/42 हिस्सा :- रोही मौजा चक 8 बारानी के मु 0 न 0 31 के किला न 0 17, 21 ता 23 प्रत्येक किला की 0, 253 है 0 बारानी मु 0 न 0 32 के किला न 0 17, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है 0 बारानी मु 0 न 0 44 के किला न 0 4/1 की 0.1830 है 0 बारानी किला न 0 5/1 की 0.1820 है 0 बारानी मु 0 न 0 45 के किला न 0 1 ता 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253 है 0 इस प्रकार कुल 3.1480 है 0 बारानी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें । पूर्व में दर्ज गै 0 मु 0 खाला रास्ता व भूमि की किस्म को यथावत् रखा जावे । यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे । खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे ।

पर्चा डीक्री आज दिनांक 23-08-24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।


(ओ पी चन्देलिया)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़